न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

225RTA2024-114(GCMS2024-203)

1. सज्जनकंवर पत्नी इन्द्रदान चारण
2. गोविन्द पुत्र इन्द्रदान चारण
3. संज़य पुत्र इन्द्रदान चारण के का.मु.
   - 3.1. दुर्गेश पुत्र संजय
   - 3.2. भरत पुत्र संजय
   - 3.3. राधिका पुत्री संजय
   - 3.4. हरसिका पुत्री संजय
4. संगीता पुत्री इन्द्रदान चारण
5. सविता पुत्री इन्द्रदान चारण

सभी निवासीगण सावण मगरा, ग्राम बोरून्दा, तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. रसालकंवर पत्नी रुघनाथसिंह चारण निवासी चारणों का बास, ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर
3. दुर्गेश देथा पत्नी जितेन्द्रसिंह चारण निवासी चारणों का बास, ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 28 मई 2024 प्रकरण संख्या 57/2021 अनवान सज्जनकंवर व अन्य बनाम रसालकंवर आदि

—— 0 ——

उपस्थित -

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री एम.डी.बूब, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 17 दिसम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2021 अनवान सज्जनकंवर व अन्य बनाम रसालकंवर आदि में पारित आदेश दिनांक 28 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 जून 2024 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 1155 रकबा 1.0275 हैक्टयेर वाके ग्राम बोरुन्दा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 मई 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में रुघनाथसिंह पुत्र तेजदान चारण की खातेदारी भूमि थी, दिनांक 12 दिसम्बर 1972 को आपसी बंटवारा के तहत उक्त भूमि में रुघनाथसिंह, इन्द्रदान व लालसिंह पिसरान तेजसिंह का बराबर-बराबर हक-हिस्सा रखते हुए इकरारनामा निष्पादित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया। जिसके आधार पर राजस्व वाद संख्या 43/2000 दिनांक 06 जुलाई 2004 को निर्णित हुआ और इसी बंटवारा अनुसार पक्षकारान में उक्त भूमि का विभाजन किया गया। किन्तु उक्त निर्णय के संबंध में कार्यवाही वर्तमान मे माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है और रेस्पो. क्षरा बंटवारा के आधार पर अपीलाण्ट्स के पक्ष में इन्द्राजात से इंकार कर दिया, अतः विचारण न्यायालय में दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाकर मूल दावे के निस्तारण तक अपीलाण्ट्स-वादीगण के ⅓ हिस्से बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक बंटवारा को नहीं मानने एवं वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति नहीं मानने का कोई आधार अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया। रेस्पो. संख्या एक द्वारा राजस्व रेकर्ड का अनुचित लाभ उठाते हुए भूमि का बेचान कर दिया है और केता अब अपीलाण्ट्स को जबरन वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है और भूमि को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से उत्तरोत्तर बेचान करना चाहते है। जिसमें यदि वे सफल हो जाते है तो निश्चय ही अपीलाण्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होगी तथा अनावश्यक वादकरण भी बढेंगे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि जिस बंटवारा दिनांक 12 दिसम्बर 1972 का अपीलाण्ट्स द्वारा उल्लेख किया गया है, उसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1155 का कोई उल्लेख ही नहीं है, न ही बंटवारा समुचित स्टाम्प पर निष्पादित है और न ही पंजीबद्ध कराया गया है। वाद संख्या 43/2000 में पारित निर्णय दिनांक 06 जुलाई 2004 में भी खसरा संख्या 1155 की भूमि बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस में यह भी जाहिर किया कि रसाल कंवर व दुर्गेश देथा की ओर से प्रस्तुत अपील (जिसमें वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 3.1 से 3.4 के पिता संजय उर्फ बॉबी भी पक्षकार थे) में आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2021 पारित करते हुए अपील स्वीकार की गयी एवं संजय देथा पुत्र इन्द्रदान के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2021 अपास्त किया गया है। जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा उक्त निगरानी संख्या 5587/2021 संजय उर्फ बोबी बनाम रसालकंवर आदि में पारित आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2011 के जरिये वादग्रस्त आराजी के बेचान रोक लगाई गई, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 685/2022 रसालकंवर व अन्य बनाम संजय उर्फ बॉबी प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 07 फरवरी 2022 के जरिये माननीय मण्डल के आदेश की पालना एवं क्रियान्विति पर रोक लगाई गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील मय हर्जे खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजियात बाबत हक-हकूक एवं अधिकारों का विनिश्चयन मूल वाद की कार्यवाही में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिवत समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित किया जाना है। वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील स्तर पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि -

1. जिस बंटवारा इकरारनामा दिनांक 12 दिसम्बर 1972 में वादग्रस्त भूमि में अपना ⅓ हिस्सा रखा जाने का अपीलाण्ड्स द्वारा उल्लेख किया गया है, उस बंटवारा इकरारनामा दिनांक 12 दिसम्बर 1972 में खसरा संख्या 1155 बाबत किसी प्रकार का कोई अंकन ही नहीं किया गया है।
2. पूर्व में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1155 बाबत विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 23 फरवरी 2021 संजय देथा उर्फ बॉबी (वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 3.1 से 3.4 के पिता) के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए पारित किया गया, उसके खिलाफ अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष रसाल कंवर व दुर्गेश देथा की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 97/2021 (जिसमें वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 3.1 से 3.4 के पिता संजय उर्फ बॉबी भी पक्षकार थे) में आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2021 पारित करते हुए अपील स्वीकार की गयी एवं संजय देथा पुत्र इन्द्रदान के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2021 अपास्त किया गया है।

3. अदालत हाजा के उक्त आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2021 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 5587/2021 संजय उर्फ बोबी बनाम रसालकंवर आदि में पारित आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2011 के जरिये वादग्रस्त आराजी के बेचान रोक लगाई गई।

4. किन्तु माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 685/2022 रसालकंवर व अन्य बनाम संजय उर्फ बॉबी प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 07 फरवरी 2022 के जरिये माननीय मण्डल के आदेश की पालना एवं क्रियान्विति पर रोक लगाई गई है।

5. इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1155 के संबंध में न्यायालय जिला न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष संजय देथा (वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 3.1 से 3.4 के पिता) की ओर से प्रस्तुत दीवानी विविध प्रकरण संख्या 21/2021 संजय देथा बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रसालकंवर व अन्य में आदेश दिनांक 19 अगस्त 2021 में प्रार्थी संजय देथा को वादग्रस्त भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुश्तहक नहीं माना गया है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में नहीं मानते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज करने में कोई त्रुटि अथवा विधिक अनियमितता नहीं की गयी है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 मई 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर